न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 2306 दिनांक 19/10/2022

प्रार्थी :-

1.अणदाराम पुत्र सोनाराम,
जाति जटिया
निवासी भाखरपुरा
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगणः-

1. टीकमाराम 2.भगवानाराम 3.दयलाराम पि. चौखा जाति जटिया, 4.लूणाराम पुत्र अर्जुनराम, जाति मेघवाल 5.हरलाल पुत्र भानाराम, जाति ब्राहमण, निवासी भाखरपुरा, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर 6.तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 05/2019 दिनांक : **12.10.2022**

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र चौहटन के मौजा भाखरपुरा के खेत खसरा सं. 435/349 रकबा 28.11 बीघा, खसरा सं. 437/349 रकबा 02.04 बीघा, खसरा सं. 471/349 रकबा 01.00 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे |

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2022/ 2307 to 2310 दिनांक 19/10/2022

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी अणदाराम
3. विप्रार्थीगण टीकमाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.11.21 15:43:09 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथराम II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन